भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं- 0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा सूचना :

निविदा संदर्भ– 14325/BSDS/GMPO/XVII Dt :02.12.2019

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी से भोपाल दुग्ध संयंत्र एवं शीतकेन्द्र बैतूल तक 7000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते है। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/– जमा करना अनिवार्य है। शर्तो का विस्तृत विवरण **www.mpcdf.gov.in** पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित रहेगा ।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा शुल्क	अमानत राशि (रू0)	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
06.12.2019 05.30 PM	1000/–	1.00 लाख	26.12.2019 2.30 PM	27.12.2019 3.30 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)
दूरभाष क : **0755-2478250, 51, 52, 53** फैक्स,नं **0755-2450896** ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

– निविदा दस्तावेज – **मूल्य रूपये 1000/– मात्र**

ई–निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी युक्त दुग्ध सहकारी समितियों से शीतकेन्द्र बैतूल तक परिवहन कार्य हेतु 7000 कि.ग्रा क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।
निविदा संदर्भ	No : 14325/BSDS/GMPO/XVII Dt :02.12.2019
शेड्यूल–I	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल– II	सामान्य शर्ते एवं निविदा
शेड्यूल– III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्ते
शेड्यूल– IV	बी.एम.सी. समितियों – परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते
शेड्यूल– V	तकनीकी विवरण
शेड्यूल– VI	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)
प्रतिभूति राशि	Rs. 1,00,000
निविदा शुल्क रू.	Rs. 1000/-
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	26.12.2019 अपरान्ह 2.30 बजे तक
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 27.12.2019 दोपहर 3.30 बजे खोली जावेगी।
निविदा प्रस्तुतीकरण	– तकनीकी दस्तावेजो हेतु लिफाफा को एक अन्य बड़े सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 27.12.2019 दोपहर 01.30 बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है।
	– दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (on line) ही किया जाना है ।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉंट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं% 0755–2450896

ई–मेल% gmplant.bsdsm@gmail.com

<u>शेड्यूल–I</u>

<u>(अ) कार्य का विवरण</u>

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्य क्षेत्र में स्थित –

(i) विभिन्न बीएमसी युक्त दुग्ध सहकारी समितियों से डेयरी संयंत्र बैतूल हेतु 7000 कि.ग्रा क्षमता (दो वर्ष की अवधि हेतु)।

(ii) विभिन्न बीएमसी से शीतकेन्द्र बैतूल तक 7000 किग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड़ मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होगे। **अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें on line प्रस्तुत की जाए।**

<u>(ब)रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण</u>

कमांक	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	7000 कि.ग्रा.	बीएमसी समिति से भोपाल डेयरी संयंत्र	15
2	7000 कि.ग्रा.	बीएमसी समिति से दुग्ध शीतकेन्द्र बैतूल	03

टीप :– मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉंट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं –0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल– II

दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा की सामान्य शर्ते एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारुप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार [म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम–1960 की धारा–2 (आई) के अनुसार] के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार (व्यस्क व्यक्ति के नाम) से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। **परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।**
5. **दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।**
6. प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/–(एक लाख) मात्र Online जमा कर, की प्रति तकनीकि प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी। **बी.एम.सी. दुग्ध संकलन कार्य हेतु नियोजित होने वाले 7000 कि.ग्रा. क्षमता के रोड मिल्क टैंकर हेतु सुरक्षा निधि रू. 03.00 लाख निर्धारित है। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि एक माह में वापिस कर दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए । साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा ।
8. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
9. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (तीन वर्षो की अवधि के बाद किसी भी दशा में समय में वृद्धि नहीं की जा सकेगी)
10. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। वर्ष 2013 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

11. BMC युक्त दुग्ध समितियों से परिवहन हेतु लगाये जाने वाले 7000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले सिंगल चैम्बर टैंकरों की आनुपातिक दर (प्रोरेटा), 7000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई हो। परिवहनकर्ता को तदानुसार ही टैंकरों की क्षमता रखना आवश्यक होगा। टैंकर एक ही कम्पार्टमेंन्ट का होना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रू 1000/– ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
13. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैंकर्स उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों से निगोशियेशन किया जा सकता है।
14. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. एक ही मार्ग के लिये दो निविदाओं की समान दरें प्राप्त होने पर आर.टी.ओ. की नवीनतम पंजीयन तिथि वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी। उसके बाद भी उक्त स्थिति में भी समानता होने पर अधिक अनुभवी टैंकर निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं% 0755–2450896

ई–मेल% gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - III

सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चो कें लिये स्वंय उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. दुग्ध संयत्रों से समस्त शीत केंद्रों/बी.एम.सी समितियों की दूरियां सत्यापित की गई है, अथवा की जावेगीं जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रू. 10000/– की राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा ।
7. शीतकेंद्रों/बी.एम.सी समिति से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तद्नुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा ।

   परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित् कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुॅचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।

   विभिन्न बीएमसीयों से प्राप्त दूध को शीतकेन्द्र द्वारा निर्धारित तौलकांटा पर प्राप्त किये गये वजन अनुसार दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
8. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन. एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू 10,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉ अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।

10. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
11. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
12. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।
14. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 1,000/– अर्थदंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।
15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 15 मिनिट हेतु।
16. टैंकरों को क्षमता के अनुसार **R.T.O** से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना–जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/सुरक्षानिधि से वसूल कर जमा की जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
    (i) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'
    (ii) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें।

22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
24. स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रूपये 100/–जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
25. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

    7000 किग्रा क्षमता ------ 10 km/lit

    7000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले टैंकरों की आनुपातिक दर (प्रोरेटा), 7000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है। परिवहनकर्ता को तद्नुसार ही टैंकरों की क्षमता रखना आवश्यक होगा।
26. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (तीन वर्ष की अवधि के बाद किसी भी दशा में समय में वृद्धि नहीं की जा सकेगी)
27. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
28. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को **एक वर्ष** तक समान दर एवं शर्तो पर आपसी सहमति से बढ़ा सके, ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गयी सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकार **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** के पास रहेगा।
29. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।
30. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रू. 1,00,000**/– के साथ–साथ संपूर्ण अनुबंध अवधि में दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन.एफ आदि में हुई कमी का कटौत्रा संबंधित ठेकेदार के देयकों अथवा सुरक्षानिधि से किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियो को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके पश्चात् भी यदि चोरी/हेरा–फेरी में लिप्तता पाई जाती है, तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा।
31. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू0 20,000/– का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
32. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। **परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा।**

33. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके ।
34. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुॅचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा ।
35. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी । यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
36. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
37. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा ।
38. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 10,000/—का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा ।
39. यह कि टैकरों की मॉग घटाई बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
40. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, डूयूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है । मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
41. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) के द्वारा किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

SCHEDULE – IV

बी.एम.सी. समितियों से टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन निविदा हेतु अन्य आवश्यक शर्तेः

1. यह कि, प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध शीतकेन्द/डेयरी संयंत्र तक लाने की जबावदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा आवश्कतानुसार डेयरी संयंत्र निर्देश दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नहीं आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना–जाना होगा।
2. यह कि, टैंकर वाल्व में लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होने की दशा में होने वाली दूध एवं गुणवत्ता की हानि टैंकर के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्चर, टेस्टिंग एवं स्टेशनरी, सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर पावती रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा परिवहनकर्ता से किया जावेगा।
4. यह कि, किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है तो इसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जाती है, अतः ऐसे दिनों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
5. यह कि, निर्देशित समय से संस्थाओं का दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नहीं पहुँचने की स्थिति में/दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी, वह राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक अथवा सुरक्षानिधि से काटी जावेगी एवं लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर ब्लैक लिस्ट कर आगामी संघ की निविदाओं में सम्मिलित होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा।
6. यह कि, प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्य जिनके लिए द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर हो, आदि कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
7. यह कि, क्रमांक 6 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर के मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन पश्चात् कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
8. यह कि,एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।
9. यह कि, वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जॉच में डीजल के स्थान पर घासलेट,मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण यदि शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को परिवहन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं सुरक्षानिधि राजसात की कार्यवाही की जावेगी।

10. यह कि, संघ के कार्य से संघ/संस्था कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
11. यह कि, संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड रू0 1000/– किया जावेगा।
12. यह कि, द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ प्रतिनिधि/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड लगाये या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।
13. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने, असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर सुरक्षानिधि जप्त कर लें, इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
14. यह कि, चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाने पर संबंधित परिवहनकर्ता एवं वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुऐ अनुबंध अवधि की समस्त दूध की कमी एवं इससे समिति/संघ को होने वाली हानि का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं सुरक्षानिधि जप्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
15. यह कि, वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी, सरकारी, कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
16. यह कि, द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिए द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं सुरक्षानिधि राजसात कर ले।
17. यह कि, डेयरी परिसर के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाया जावेगा, डेयरी परिसर में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिसर में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेगें। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात् जब तक वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ रहेंगें।
18. यह कि, वाहन का स्पीडोमीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः सुधरवाया जाना अनिवार्य होगा।
19. यह कि, इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की देय योग्य होगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष जबावदेह होगा।
20. यह कि, परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
21. यह कि, संघ एवं दुग्ध समितियो में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, एवं संचालक मण्डल के सदस्यों के स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन निविदा भरने के अधिकारी नहीं रहेंगे, अर्थात द्वितीय पक्ष बनने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। यह तथ्य द्वितीय पक्ष नोटेराइड शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर कार्य के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर जमा सुरक्षानिधि राजसात कर ले तथा भ्रामक एवं गलत जानकारी देनें के एवज में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

22. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटों के बनवाये जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेगें एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
23. यह कि, स्थानीय/मध्यप्रदेश/भारत शासन द्वारा आयकर जो भी दरें लागू की जावेगी, वह वाहन अनुबंधकर्ता के बिलों से काट कर उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जाकर उसका प्रमाण–पत्र संघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा नम्बर द्वितीय पक्ष को आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. यह कि, अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि उसके देयकों से, सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व लिखित सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
25. यह कि, स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः–

7000 कि.ग्रा क्षमता हेतु – 10 कि.मी.प्रति लीटर

26. यह कि, 7000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले टैंकरों की आनुपातिक दर (प्रोरेटा), 7000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है। परिवहनकर्ता को तद्नुसार ही टैंकरों की क्षमता रखना आवश्यक होगा। टैंकर एक ही कर्म्पाटमेंन्ट का होना अनिवार्य होगा।
27. यह कि, डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।
28. यह कि, विभिन्न दुग्ध समितियों द्वारा टैंकर में दूध लोड किये जाने वाले दूध की मात्रा, फैट एवं एसएनएफ का सत्यापन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा, तदानुसार दुग्ध संयंत्र में पहुँचने पर कुल दूध की मात्रा, फैट एवं एसएनएफ के हस्तांतरण का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किसी प्रकार की दूध मात्रा, फैट एवं एसएनएफ कम आने पर अन्तर की वसूली द्वितीय पक्ष के देयकों से की जा सकेगी।
29. यह कि, अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उनके निजी कर्मचारी होगें, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को स्वयं ही रखना होगा।
30. यह कि, अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर प्रथम माह अनुमोदित दर में 20 प्रतिशत् का कटौत्रा किया जावेगा तथा दूसरे माह अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
31. यह कि, दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरों के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैंकर को चला सकेगा एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा, इसमें द्वितीय पक्ष का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
32. यह कि, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा ।
33. यह कि, संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य अभिलेखों के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि पूर्व हटाया गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगे ।
34. यह कि, परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की अवधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि आगामी एक वर्षो की अनुबंध वृद्धि करें अथवा नहीं।
35. यह कि, 7000 क्षमता के टैंकर हेतु दरे प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता का टैंकर होने पर प्रोरेटा आधार पर दरों का निर्धारिण किया जावेगा।
36. यह कि, अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि उसके देयकों से सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व लिखित सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

37. यह कि, कार्य की आवश्कतानुसार टैंकरों को शीतकेंद्रों से भी दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भेजा जा सकेगा ।
38. यह कि, निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर तथा सील होने पर सील सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

SCHEDULE - V

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं/मोबाईल नं. **(लगातार उपयोग होने वाला)** – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) – ....
6. रोडमिल्क टेंकर क्षमता – ....
7. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
8. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में नामित नही किया है इस सम्बंन्ध में शपथ पत्र रू. 100/– (नोटरी द्वारा सत्यापित) – ....
9. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र) – ....
10. सर्विस टैक्स नं. (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
11. माडल तथा मेक – ....

निविदा फार्म में वर्णित भोपाल दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)
दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फेक्स,नं% 0755–2450896
ई–मेल% gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - VI

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक
(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)
FINANCIAL BID

क्र.	विवरण	टैंकर नियोजन संख्या	दर प्रति कि.मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए)
1.	टैंकर क्षमता 7000 कि.ग्रा. बीएमसी समिति से भोपाल डेयरी संयंत्र	15	
2.	टैंकर क्षमता 7000 कि.ग्रा. बी.एम.सी. समिति से दुग्ध शीतकेन्द्र बैतूल तक	03	

नोटः– हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर – रू. .... प्रति लीटर अनुसार परिवहन दर प्रस्तुत की गयी।
दिनांक – ....

नाम –
हस्ताक्षर –
पता–
मोबाईल नंबर –

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY________________between Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIFE EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And .... (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide _________ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No.______-_____ Dt. after negotiations held on ------------

WHEREAS Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates within Madhya Pradesh
1.		
2.		
3.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for two years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .
   In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,
2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender. document.

Signature:	Signature:
IInd party	I st party CEO
Name ______________________	Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit
Address ____________________	Habibganj Bhopal - 462024

Witness:	Witness:
1.____________________	1. __________________
2.____________________	2. _________________

वचन –पत्र

मैं............................आत्मज.............................आयु...........लगभग.....................निवासी............................... भोपाल दुग्ध संघ में.................कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हू। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूॅ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/ संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....

पता ....

....

सत्यापन

मैं.. उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूॅ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....

पता ....

....

....